



Neutral Citation No. -

2026:AHC:59715

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या – 2328 वर्ष 2026

जवाहर लाल

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अरविंद कुमार त्रिवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

### न्यायालय संख्या – 72

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. त्रिवेदी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मोर्य की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह आवेदन अग्रिम जमानत के लिए दायर किया गया है मुकदमा अपराध संख्या 0028/2025, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी, पुलिस स्टेशन गुजैनी, जिला कानपुर नगर के अंतर्गत, इस प्रार्थना के साथ कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि कथित विक्रय विलेख वर्ष 2022 में निष्पादित किया गया था और प्रथम सूचना रिपोर्ट 2025 में दर्ज की गई थी। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक एक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वास्तविक क्रेता है। यह आरोप लगाया गया है कि विक्रय विलेख प्रथम सूचनादाता के स्थान पर एक धोखेबाज रमाकांत तिवारी द्वारा निष्पादित किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचनादाता द्वारा उपरोक्त विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए एक मुकदमा भी दायर किया गया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और वह जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. आवेदक विक्रय विलेख का क्रेता बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2025 में दर्ज की गई है। प्रथम सूचनाकर्ता ने विक्रय विलेख रद्द करने के लिए पहले ही मुकदमे दायर कर दिए हैं।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध सभी साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका पर भी विचार करना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

9. उपर्युक्त मामले में आरोपी जवाहर लाल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप होंगे। निम्नलिखित शर्तों के साथ:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(i) आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और निर्धारित तिथि पर ट्रायल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रतीभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आरोपी मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आरोपी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

**19 मार्च, 2026**

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

वीरेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"